

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्णीय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 22/2016 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

हरी सिंह पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी एत्मादपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पॉडेंट।

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अति० जिला
कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.11.2016 प्र.संख्या
140/2016 उनवानी हरी सिंह बनाम सरकार

उपस्थिति:-

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक— 10.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बयाना ने आराजी खसरा नंबर 24 रकबा 0.080 है० किस्म चारागाह भूमि वाके ग्राम एत्मादपुर तहसील बयाना पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पॉडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बयाना द्वारा मात्र हल्का पटवारी

की रिपोर्ट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी पेश कर दिया, किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपने विशेष कथन में अपीलान्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया जाकर सरकारी भूमि के दुरुपयोग की मंशा है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहत अदालत के मुकदमा नमबर 42/15 निर्णय दिनांक 15.10.2015 से साबित होती है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाँच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा कब्जा छोड़े जाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद सिविल जेल की सजा माफ नहीं की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलान्ट का यह कथन कि उनके द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ-पत्र, प्रस्तुत कर दिया है, सही नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर की पत्रावली में अतिक्रमण हटाये जाने का कोई शपथ-पत्र संलग्न नहीं है। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलान्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नहीं टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बयाना ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते हैं।
6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करने का परिचयन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई

गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बयाना को निर्देशित करना चाहेंगे कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिचय दे, तो एक माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ-साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत भी कार्यवाही करें।

7. अतः अपील अपीलाण्ट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्त दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official